

प्रेस विज्ञप्ति
बिहार पुलिस मुख्यालय
दिनांक 13.03.2023 (सं0-171)



बिहार पुलिस के परोपकारी कोष से गम्भीर रोगों की चिकित्सा हेतु अधिकतम 03 लाख रुपयों के ब्याज रहित ऋण का प्रावधान

पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के कल्याण हेतु बिहार पुलिस के परोपकारी कोष से गम्भीर रोगों से ग्रसित पुलिस पदाधिकारी, कर्मी तथा उनके आश्रितों की समुचित चिकित्सा में सहायता हेतु अधिकतम 3,00,000 (तीन लाख) रुपयों का ब्याज रहित ऋण प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। इससे आकस्मिक चिकित्सा के मामलों में राशि की उपलब्धता रहेगी।

इस सम्बन्ध में विस्तृत आदेश बिहार पुलिस मुख्यालय के ज्ञाप संख्या-वित्त-2/III-01-04-2019/323, दिनांक 07.03.2023 के द्वारा जारी किया गया है।

XXXXXXXXXX